प्रेस-नोट

दिनांकः 23.01.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 23.01.2024 को वाद संख्या 166/22 मु0अ0सं0 390/21 धारा 323/504/420//406 भा0द0वि0 व 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट चालानी थाना नकुड सहरानपुर माननीय विशेष न्यायालय एस0सी0एस0टी0 एक्ट जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित वारंटी अभियुक्त **सुधीर कुमार पुत्र सुखवीर सिंह निवासी ग्राम रणदेवी थाना नकुड जनपद सहारनपुर** को ग्राम रणदेवी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पताः-

- सुधीर कुमार पुत्र सुखवीर सिंह निवासी ग्राम रणदेवी थाना नकुड जनपद सहारनपुर

अभियुक्त सुखवीर उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 01/17 धारा 2/3 गैगस्टर अधिनियम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 512/16 धारा 394/411 भादवि चालानी थाना नकुड जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 390/21 धारा 323/504/420//406 भादवि व 3(2)5 एससी-एसटी एक्ट थाना नकुड, सहरानपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अमरपाल शर्मा थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सत्येन्द्र शर्मा थाना नकुड जनपद सहारनपुर
3. है0का0 261 अजीत सिंह थाना नकुड जनपद सहारनपुर
4. है0का0 301 प्रवीण ढाका थाना नकुड जनपद सहारनपुर
5. का0 1890 मोन्टी चौधरी थाना नकुड जनपद सहारनपुर

दिनांक: 23-01-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा सामप्रदायिक भ्रामकता फैलाने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 23.01.2024 को वादी श्री जितेन्द्र जागलान जिला उपाध्यक्ष भा0ज0पा0 द्वारा थाना गंगोह पर लिखित तहरीर बाबत मौ0 साबिर पुत्र मौ0 साजिद नि0 ग्राम खानपुर गुर्जर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर द्वारा दिनांक 22.01.2024 को अयोध्या में राम मन्दिर में हुए प्राण-प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर अपत्तिजनक वीडियो वायरल कर सामप्रदायिक भ्रामकता फैलाने के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 16/24 धारा 295ए/153बी/505(2) भादवि भी पंजीकृत कराया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उपरोक्त का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु तत्काल दिशा-निर्देश दिए, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी गंगोह के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त **मौ0 साबिर पुत्र मौ0 साजिद नि0 ग्राम खानपुर गुर्जर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को ग्राम खानपुर गुर्जर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मौ0 साबिर पुत्र मौ0 साजिद नि0 ग्राम खानपुर गुर्जर थाना गंगोह जिला सहारनपुर। उम्र करीब 27 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 निर्भय सिंह थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. का0 हे0का0 486 अमरेश कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3. का0 326 रिंकू थाना गंगोह जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक - 23.01.2024

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा अभियान "ऑपरेशन क्लीन" के तहत आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित अवैध शराब के 21 मुकदमों में बरामद की गई कुल 200 लीटर कच्ची, देशी व अंग्रेजी शराब (कीमत करीब 60000 हजार रुपये) का कराया गया विनष्टीकरण

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में माल मुकदमाती निस्तारण अभियान व प्रचलित अभियान **"ऑपरेशन क्लीन"** के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम व नायब तहसीलदार सदर व अभियोजन अधिकारी एवं आबकारी निरीक्षक की उपस्थिति में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री ,सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में व0उ0नि0 श्री बचन सिंह अत्री थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर व हैड मोहर्रिर143 सुरेश थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर। द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए माल निस्तारण के सम्बन्ध में अभियान के दौरान व पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 23.01.2024 को मा0 न्यायालय अपर सिविल जज (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट), सहारनपुर के आदेश दिनांकित 11.01.2024 के अनुपालन में वर्ष 2022 में आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित 21 अभियोगो में बरामद कुल 200 लीटर कच्ची, देशी व अंग्रेजी शराब को, जिसकी कीमत करीब 60,000 रुपये को इस्लामिया इन्टर कॉलेज के सामने सुरक्षित स्थान पर गहरा गडढा से खुदवाकर विनष्टीकरण कराया गया।

प्रेस विज्ञप्तिः-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीष कक्ष संख्या–5 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्तों को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः –

अवगत कराना है, कि दिनांक 21.08.2009 को वादी श्री विवेक मलिक थानाध्यक्ष नागल जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्तगण 1–नीटू पुत्र तेजपाल नि0 सडौली हरिया थाना कोतवाली देहात स0पुर, 2.शक्ति पुत्र ब्रहमसिंह नि0 रसूलपुर थाना कांधला जनपद शामली, 3.शिवकुमार उर्फ मोनू पुत्र जयपाल नि0 सलेमपुर थाना नागल सहारनपुर 4–मिन्टू पुत्र धर्मवीर नि0 लाख थाना फुगाना शामली द्वारा संगठित गिरोंह बनाकर जनता में भय व्यपात करना व आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु अपराध कारित करने की सूचना पर मु0अ0सं0 158/2009 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना नागल पर पंजीकृत कराया गया उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 116/2010 पर माननीय न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीष कक्ष संख्या–5 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीष कक्ष संख्या–5 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 23.01.2024 को अभियुक्तगण 1–नीटू पुत्र तेजपाल नि0 सडौली हरिया थाना कोतवाली देहात स0पुर, 2. शक्ति पुत्र ब्रहमसिंह नि0 रसूलपुर थाना कांधला जनपद शामली, को पर मु0अ0सं0 158/2009 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए **03 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार** रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री मेघराज चौहान
विवेचक–थानाध्यक्ष बडगांव श्री राजपाल सिंह
पैरोकार का0 1860 दुष्यन्त कुमार जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 23.01.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर पुलिस द्वारा 09 वर्षो से लापता हिस्ट्रीशीटर का पता लगाया

अवगत कराना है कि आज दिनांक 23.01.2024 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में व प्र0नि0 सत्येन्द्र प्रकाश सिह के कुशल नेत्तृव में थाना कोतवाली देहात पर नियुक्त है0का0 547 पंकज कुमार द्वारा विगत 09 वर्षो से लापता चल रहे हिस्ट्रीशीटर अपराधी **एचएस नं0 173ए अंसार उर्फ मौ इंसार पुत्र लूबा उर्फ मौ0 मतलूब नि0 वर्धमान कालोनी थाना को0देहात जनपद सहारनपुर** हाल निवासी मो0 महल कस्बा व थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर का पता लगाने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गयी है। हिस्ट्रीशीटर अपराधी अंसार उर्फ मौ0 इंसार वर्ष 2016 मे अपना मकान बेचकर अपने परिवार सहित अपनी ससुराल मौ0 महल कस्बा व थाना रामपुर मनि0 जनपद सहारनपुर मे निवास करने लगा व कुछ समय के उपरान्त अपने परिवार सहित ग्राम खुशहालपुर थाना सहसपुर जनपद देहरादून उत्तराखण्ड मे किराये पर निवास करने लगा। हिस्ट्रीशीटर का पता लगाये जाने हेतु काफी प्रयास किये गये तो जानकारी प्राप्त हुई कि हिस्ट्रीशीटर अंसार वर्तमान मे मजदुरी करने देहरादून गया हुआ है, जहाँ पर जाकर जानकारी प्राप्त की गयी तो हिस्ट्रीशीटर ग्राम खुशहालपुर थाना सहसपुर जनपद देहरादून उत्तराखण्ड मे किराये के मकान मे परिवार सहित निवास कर रहा है व बैल्डिग का कार्य कर रहा है।

पता लगाये गये हिस्ट्रीशीटर का नाम व पता-

एच.एस. नं0 173ए अंसार उर्फ मौ इंसार पुत्र लूबा उर्फ मौ0 मतलूब नि0 वर्धमान कालोनी थाना को0देहात जनपद सहारनपुर हाल निवासी मो0 महल कस्बा व थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर

पता लगाने वाले पुलिस कर्मी का नाम

है0का0 547 पंकज कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

प्रेस विज्ञप्तिः-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय जिला सत्र न्यायाधीष कक्ष संख्या–4 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष का संश्रम कारावास व 18 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः –

अवगत कराना है, कि दिनांक 09.09.2020 को वादी आजम पुत्र इस्लाम नि0 ताहरपुर थाना को0देहात जनपद सहारनपुर की बहन शाबरा को अभियुक्त 1–मुर्सलीन पुत्र मुस्तकीम नि0 अमरपुर थाना गागलहेडी सहारनपुर द्वारा दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या कर देने की सूचना पर मु0अ0सं0 267/2020 धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम थाना गागलहेडी पर पंजीकृत कराया गया उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 1240/2021 पर माननीय न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीष कक्ष संख्या–4 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीष कक्ष संख्या–4 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 23.01.2024 को अभियुक्त 1–मुर्सलीन पुत्र मुस्तकीम को मु0अ0सं0 267/2020 धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम में दोषी पाते हुए **10 वर्ष का सश्रंम कारावास व 18 हजार** रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री राकेश सहल
विवेचक–क्षेत्राधिकारी श्री अजेन्द्र यादव
पैरोकार का0 1360 रजनीष कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।